(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 140

बउनवान

1. रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
2. रामकिशन पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
3. शंकरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मदनलाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
2. ज्ञानाबाई पुत्री गोपाल पत्नी अमृतलाल बैरवा निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ हाल निवासी धुमेन तहसील अटरू जिला बारां
3. मनोहरबाई पुत्री गोपाल पत्नी मथुरालाल बैरवा निवासी टांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ हाल निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां
4. तहसीलदार, छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक (रेस्पो. कम 1 ता 3)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो0 कम 4)

निर्णय दिनांक 29.10.2024

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 02 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान मदनलाल वगैराह बनाम रामप्रसाद वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 20.08.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया ओर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम टांची के खसरा नंबर [illegible] की आराजी दिनांक 22.06.2000 को 2,37,000/– रूपये रेस्पोडेन्टगण को देकर इकरारनामा बेचान लिखाया गया [illegible] रेस्पो. द्वारा कब्जा भी आराजियात पर सन् 2000 में दे दिया गया था। बेचान तारीख से अपीलांट उपरोक्त वर्णित आराजियात पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। कानूनी अड़चन होने के कारण रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर कानूनी भूल की है। रेस्पो. का उक्त वर्णित आराजियात पर मालिकाना हक समाप्त हो चुका है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त आराजियात का बेचान दिनांक 15.06.2024 को प्रेमसिंह पुत्र उग्रसेन जाति मीना निवासी हरिपुरा को करके कब्जा भी आराजियात पर संभला दिया है और वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2024 को निरस्त फरमाया जावें। विकल्प में रेस्पो. द्वारा जमीन बेचान कर दी गई है, रेस्पो. के नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर उपरोक्त आराजियात को सिवायचक दर्ज करवाने का आदेश फरमावें ताकि अवैध रूप से इस तरह भूमि का बेचान करने वालों को सबक मिलें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि हमारे द्वारा उक्त विवादित आराजी अपीलांटगण को गिरवी रखी थी जिसका समय पूरा होने के पश्चात् हमारे द्वारा राशि भी अदा कर दी गई। किंतु अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि कब्जे से मुक्त कर हमें नहीं संभलाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को सुनकर निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद का निर्णय उचित एवं सही है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान मदनलाल वगैराह बनाम रामप्रसाद वगैराह मे निर्णय दिनांक 03.07.2024 को पारित किया गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:55 IST
Reason: SelfAttested